भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1581
02 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

ग्राम समृद्धि योजना

1581. डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री खगेन मुर्मू:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्राम समृद्धि योजना को मंजूरी देते हुए इसे आरंभ करने की योजना बना रही है जिसे विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार छोटे किसानों को मजबूत बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हेतु गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था बनाने हेतु पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार देश में आदर्श खाद्य प्रसंस्करण नीति आरंभ करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): जी, हां । ग्राम समृद्धि योजना (जीएसवाई) का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के असंगठित खंड में सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और इस क्षेत्र की औपचारिकता का संवर्धन करना है ।

ग्राम समृद्धि योजना बेहतर कार्य अवसर और कृषि से हटकर जॉब उपलब्धता बढ़ाने के लिए तैयार की गई है ।

(ग): वित्त वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा के अनुसरण में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में "विशिष्टीकृत कृषि प्रसंस्करण वित्तीय संस्थानों" की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए एक नई स्कीम विचाराधीन है ।

(घ): राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है ।

*****